

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री मुकेश कुमार चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 28/2019 (अपील)

उनवान

हरीश शर्मा उर्फ हरिश्चन्द्र शर्मा आत्मज स्व० नन्दकिशोर जी आयु 62 साल जाति
ब्राहमण निवासी 43/51 कृष्णा नगर रंगबाडी कोटा जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. डा० आशीष शर्मा आत्मज स्व० सुरेशचन्द्र जी हाल निवासी ए एम०सी० डेन्टल
कालेज अनुपम सिनेमा के सामने मालकिया मिल कम्पाउन्ड खोखरा अहमदाबाद
380008 गुजराज
2. डा० विवेक शर्मा आत्मज स्व० सुरेशचन्द्र जी हाल निवास एनटीपीसी हॉस्पिटल
एनटीपीसी झानोर एनटीपीसी टाउन शिप उर्जा नगर भरुंज 392215 गुजराज
392215
3. प्रीति उपाध्याय पत्नी श्री धीरेन्द्र उपाध्याय जाति ब्राहमण निवासी सन्दीपन
गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल बालाजी नगर रोड रंगबाडी कोटा
4. सुमित्रा शर्मा पत्नी स्व० सुरेशचन्द्र जी निवासी द्वारा विवेक भार्मा एनटीपीसी
हॉस्पिटल एनटीपीसी झानोर एनटीपीसी टाउन शिप उर्जा नगर भरुंज 392215
गुजराज 392215
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

- उपस्थित :- 1. श्री विष्णु प्रसाद शर्मा (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट 2,3,4 की ओर से)

अपील बनाराजी इन्तकाल न० 380 दिनांक 26.06.2018 तहसीलदार दीगोद
तहसील दीगोद अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक : 20.06.2024

- 1 अपीलाण्ट की ओर से जर्गे अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ
न्यायालय तहसीलदार दीगोद तहसील दीगोद नामान्तरकरण संख्या 380 वाके ग्राम
उदपुरा के आदेश दिनांक 26.06.2018 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ
प्रस्तुत की गई है।

५

2. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेसन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोजेण्ट न० 2,3,4 की ओर अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का बहस अपील में कथन है अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार का इन्तकाल न० 380 दिनांक 26.06.2018 विधि एवं न्याय संचिका में प्राप्त तथ्यो विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। ग्राम उदपुरा तहसील दीगोद में ख०न० 90 की 0.03 है० ख०न०553 रकबा 0.89 हे० ख०न० 554 की 1.02 है० ख०न० 590/91 की 0.08 हे० कुल चार किता की 2.02 हैक्टर भूमि खातेदार नन्दकिशोर आत्मज चतुभुज के खाते दर्ज चली आ रही है। जो उनकी स्वअर्जित भूमि है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि खातेदार नन्दकिशोर आत्मज चतुभुज जी ने अपने जीवनकाल में अपील समस्त चल व अचल सम्पति की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 10.10.2005 को आलेखित की थी। जिसकी जानकारी अपीलान्ट के भ्राता सुरेशचन्द्र का पूर्ण रूप से थी किन्तु उक्त वसीयत को छिपा कर अपीलान्ट को सूचना दिये बिना विवादित भूमि का फोती नामान्तरकरण न० 380 दिनांक 26.06.2018 केम्प डूंगरज्या में राजस्व कर्मचारी व अधिकारियो से मिली भगत कर अपीलान्ट व उसके भ्राता सुरेशचन्द्र के नाम तस्दीक करवा लिया। उपरोक्त भूमि पूर्व मे खातेदार नन्दकिशोर के खाते में दर्ज चली आ रही थी। उन्होने उक्त ख०न० 553 व 554 की भूमि की वसीयत अपीलान्ट के नाम तथा ख०न० 90 व 590/91 की भूमि की वसीयत दोनो भ्रातो अपीलान्ट व सुरेशचन्द्र के नाम की गयी थी। इसी अनुसार मौके पर काबिज काशत चले आ रहे है। तथा उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काशत चला आ रहा है। ख०न० 553,554 की भूमि से सुरेशचन्द्र व उसके वारिसान रेस्पोजेण्ट का कोई संबध नहीं है। राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा न० 553 व 554 की भूमि पर सुरेश का नाम दर्ज होने से सुरेश की मृत्यु हो जाने से उसका फोती इन्तकाल न० 393 उसके वारिसान रेस्पोजेण्ट 1 ता 4 का नाम दर्ज हो गया तथा उसके बाद रेस्पोजेण्ट न० 1,2, व 4 ने अपने हिस्से की भूमि का रेस्पोजेण्ट न०3 के नाम हक त्यागकर दिया जो इंतकाल न० 395 से उक्त ख०न० 553 व 554 की भूमि में रेस्पोजेण्ट न०3 का नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हो गया जो गलत है। ख०न० 553 व 554 की भूमि से रेस्पोजेण्ट का कोई सम्बन्ध नहीं है किन्तु रेस्पोजेण्ट न० 3 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से उसके मन में बदनियति आ गयी है। और रेस्पोजेण्ट न० 3 ने अपीलान्ट को उक्त ख०न० 553 व 554 की भूमि से बेदखल करने व भूमि का रहन बेचान की धमकी दिनांक 26.05.2018 को दी। अधिनस्थ न्यायालय ने नामा० संख्या 380 दिनांक 26.06.2018 बिना अपीलान्ट को सूचना दिये व सुनवायी का अवसर दिये ही खोल दिया गया। ख०न० 553 व 554 की भूमि पर वसीयत के अनुसार अपीलान्ट का कब्जा काशत चला आ रहा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का इन्तकाल न० 380 आदेश दिनांक दिनांक 26.06.2018 निरस्त फरमाया जावे। तथा इसके बाद खोले गये इंतकाल न० 393 व 395 को अपीलान्ट के विरुद्ध प्रभाव शुन्य करार देते हुए भूमि पुनः खातेदार नन्दकिशोर जी के नाम दर्ज किये जाने तथा प्रकरण को रिमाण्ड करते हुये वसीयत के आधार पर विवादित भूमि ग्राम उदपुरा तहसील



h

दीगोद की ख0न0 90 की 0.03 है0 ख0न0 590/91 की 0.08 हेक्टर एव ख0न0 553 रकबा 0.89 है0 ख0न0 554 की 1.02 हे0 भूमि का इंतकाल तस्दीक किये जाने व अपीलान्ट को सुने जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

5 रेस्पोजेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है अपील मियाद के बाहर है। अपील मियाद के बाहर पेश करने का कोई कारण अपीलान्ट ने नहीं बताया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल वारिसान के नाम तस्दीक किया गया इन्तकाल न0 393 395 ग्राम पंचायत का है, जिसका क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी के पास है। वसीयत के सम्बन्ध श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। बल्कि सिविल न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। कब्जा रेस्पोजेण्ट का है। उक्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है, जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती है। वसीयत के सम्बन्ध सिद्ध करने हेतु सक्षम न्यायालय में दावा पेश करना चाहिए उक्त दावे में भी साक्ष्य से ही वसीयत सिद्ध हो सकेगी। इन्तकाल खोलने के बाद भी अपीलान्ट ने दर्ज नाम के आधार पर लोन आदि लिया। इन्तकाल खोलने की जानकारी अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही थी। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।।

6 विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेण्ट की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी 2021 (2) **SC** पेज न0 1201, आर0आर0डी 1998 पेज न0 553, आर0बी0टी 2004 पेज न0 514,520 आर0आर0डी 2005 पेज 87 प्रस्तुत किये गये जिनका भी ससम्मान अवलोकन किया गया।

7 हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील आदेश दिनांक 26.06.2018 के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा लिमिटेसन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 19.06.2019 को पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश हुए है। विलम्ब से पेश करने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी 27.05.2019 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने के बाद होना बताया है। विलम्ब से अपील पेश करने के सम्बन्ध में वकील रेस्पोजेण्ट द्वारा ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेसन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

8 वकील अपीलान्ट का कथन रहा है कि अपीलान्ट के भ्राता सुरेशचन्द्र का पूर्ण रूप से थी किन्तु उक्त वसीयत को छिपा कर अपीलान्ट को सूचना दिये बिना विवादित भूमि का फोती नामान्तरकरण नं0 380 दिनांक 26.06.2018 केम्प डूंगरज्या में राजस्व कर्मचारी व अधिकारियों से मिली भगत कर अपीलान्ट व उसके भ्राता सुरेशचन्द्र के नाम तस्दीक करवा लिया। उपरोक्त भूमि पूर्व मे खातेदार नन्दकिशोर के खाते में दर्ज चली आ रही थी। उन्होने उक्त ख0न0 553 व 554 की भूमि की वसीयत अपीलान्ट के नाम तथा ख0न0 90व 590/91 की भूमि की वसीयत दोनो

भ्रातो अपीलाण्ट व सुरेशचन्द्र के नाम की गयी थी। इसी अनुसार मौके पर काबिज काशत चले आ रहे हैं। तथा उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काशत चला आ रहा है। ख0न0 553,554 की भूमि से सुरेशचन्द्र व उसके वारिसान रेस्प0 का कोई संबंध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने नामा0 संख्या 380 दिनांक 26.06.2018 बिना अपीलाण्ट को सूचना दिये व सुनवायी का अवसर दिये ही खोल दिया गया। ख0न0 553 व 554 की भूमि पर वसीयत के अनुसार अपीलाण्ट का कब्जा काशत चला आ रहा है। इसके विपरीत रेस्प0डन्ट का कथन रहा है कि वसीयत के सम्बन्ध श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। बल्कि सिविल न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। कब्जा रेस्प0डेन्ट का है। उक्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है, जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती है। वसीयत के सम्बन्ध सिद्ध करने हेतु सक्षम न्यायालय में दावा पेश करना चाहिए उक्त दावे में भी साक्ष्य से ही वसीयत सिद्ध हो सकेगी। इन्तकाल खोलने के बाद भी अपीलाण्ट ने दर्ज नाम के आधार पर लोन आदि लिया। इन्तकाल खोलने की जानकारी अपीलाण्ट को प्रारम्भ से ही थी। अतः अपीलाण्ट का कथन रहा है कि वसीयत को छिपा कर अपीलाण्ट को सूचना दिये बिना विवादित भूमि का फोती नामान्तरकरण नं0 380 दिनांक 26.06.2018 अपीलाण्ट व उसके भ्राता सुरेशचन्द्र के नाम तस्दीक करवा लिया। विवादित नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व उन्हें सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, ऐसी अवस्था में पक्षकारान को सुना जाकर विधि सम्मत रूप से प्रकरण का निस्तारण करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 380 दिनांक 26.06.2018 वाके ग्राम उदपुरा पटवार मण्डल डूगरज्या तहसील दीगोद निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वसीयत की जांच कर यदि पैतृक सम्पत्ति की वसीयत हो तो वसीयतकर्ता के हिस्से की जांच करते हुए सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधिवत निर्णय पारित करें।

10 निर्णय आज दिनांक 20.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

